Email-dahonawada@gmail.com
Phone No-06324-212273

कार्यालयः– जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा।

निविदा आमंत्रण सूचना (1)
आपदा/सुखाड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–2022 में प्रखंडों में पशु राहत शिविर के लिए पशु सुखा चारा की आवश्यकता है। जिले में पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत पशु तस्करी के जॉच के क्रम में पकड़े गये पशुओं को सुखाचारा उपलब्ध किया जाना है। उपर्युक्त आवश्यकता को देखते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर 5 बजे अपराहन तक मुहरबंद निविदा द्विलिफाफा पद्वति के अधार पर आमत्रित की जाती है। सील बंद लिफाफा के उपर तकनीकी निविदा तथा वितीय निविदा अंकित कर इन दोनों लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद होना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा निबंधित डाक से या हाथों हाथ जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, नवादा, पिन – 805110 में प्राप्त की जायेगी। नवादा संस्करण में प्रकाशन के 21 दिन के बाद अगले कार्य दिवस को जिला क्रय समति के समक्ष जिला समाहरणालय, नवादा में अपराहन 2:00 बजे निविदा खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वय या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आपूर्त्ति आदेश आवंटन के उपलब्धता के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा।

निविदा की शर्ते – (क) निविदा की तकनीकी शर्तेः–

1 निविदा के साथ रूपये 1000 (एक हजार रूपये) मात्र देय अग्रधन राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/NSC जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा के नाम से जमा करना होगा इस निविदा में असफल घोषित निविदादाता को उक्त राशि निविदा समिति के निर्णय के पश्चात तुरंत वापस कर दी जायेगी।

2 आपूर्त्ति की जाने वाली चारा का 50 ग्राम नमूना पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में हो एवं उसपर निविदादाता का नाम, पता तथा मोबाईल नम्बर लिखित होना अनिवार्य है।

3 चारा का प्रकार (क) पुआल कुट्टी (ख) गेहूँ भुसा (ग) चुन्नी एवं चोकर

4 निविदा के समय आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति देना आवश्यक है।

5 निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में नाम दर्ज नही होने से संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

6 आपूर्त्ति की जाने वाली पुआल कुट्टी, गेहुँ भुसा, चुन्नी एवं चोकर निविदा के साथ दिये गये नमूना के आधार पर नही होने पर आपूर्ति नही ली जायेगी। आपूर्ति की जाने वाली चारा बिल्कुल साफ एवं उत्तम गुण्वत्ता का होना चाहिए।

7 आपूर्त्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्त्ति की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व ज़िला पशुपालन पदाधिकारी को देनी होगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी, की सहमति के बाद ही चारा/चोकर निर्धारित स्थल तक स्वयं के खर्च पर पहुँचाना होगा। आपुर्त्ति आदेश निर्गत होने के दो दिनों के अन्दर सुखा चारा का आपुर्त्ति करना होगा।

8 निविदा समिति को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी तरह के कानूनी मामला नवादा जिला क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

9 निविदा सूचना को वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in/www.nawada.nic.in पर देखा जा सकता है।

(ख) निविदा की वित्तीय शर्ते

1 नवादा जिलान्तर्गत किसी भी प्रखण्ड के राहत शिविर तक पशु सुखा चारा/भूसा/चोकर/भुसी पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विटल दर अंकित करना अनिवार्य है।

2 अनुमोदित दर वितीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 तक के लिए प्रभावी रहेगी।

3 अंकित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय आदि) देय नही होगा।

15.5.2020

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
नवादा।